पंकज जैन, आई.ए.एस.

सचिव
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
247, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दूरभाष:23061207, 23061245 फैक्स:23062715
ई-मेल: secydws@nic.in
वेबसाइट: www.ddws.nic.in

अ.शा. पत्र सं. डब्ल्यू 11013/08/2014 (भाग)
30 सितम्बर 2014

विषय: निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन और "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" द्वारा उसका प्रतिस्थापन

भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान के पुनर्गठन का अनुमादेन किया है जो अब एक नए कार्यक्रम "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" द्वारा प्रतिस्थापित होगा। इस मिशन की शुरूआत माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 2 अक्टबर, 2014 को की गई थी। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं:-

i. स्वच्छ भारत मिशन के 2 उप-मिशन होंगे - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)। 2 उप-मिशनों के लिए बजटीय प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (ग्रामीण) और शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान माँगों में पृथक रूप से उपलब्ध कराए जाएँगे।
ii. वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय की इकाई लागत को 10 हजार रुपये से बढ़कार 12 हजार रुपये कर दिया गया है ताकि भंडारण, हाथ धोने और शौचालयों की सफाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा सके।
iii. वैयक्तिक पारिवारिक शोचालयों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से केंद्रीय अंशदान 9000 रुपये होगा (75%)। राज्य अंश 3000 रुपये (25%)। होगा। पूर्व-उत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्रीय अंश 10,800 और राज्य अंशदान 1200 रुपये (90%:10%) होगा।
iv. इंदिरा आवास योजना घरों के लिए शौचालयों के प्रावधान हेतु इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम में पृथक रूप से प्रावधान शामिल किया जाएगा। जब तक ऐसा प्रावधान बनाया, वित्तपोषण की विद्यमान व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जारी रहेगी।

v. सूचना, शिक्षा संप्रेषण के लिए कुल परियोजना लागत के 8 प्रतिशत का प्रावधान है जिसमें से 3 प्रतिशत केंद्रीय स्तर पर और 5 प्रतिशत राज्य स्तर पर उपयोग किया जाना है।

vi. प्रशासनिक लागत के लिए परियोजना लागत के 2 प्रतिशत का प्रावधान है। केंद्र और राज्य के मध्य विभाजन ढाँचा 75:25 होगा।

vii. आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों के भुगतान हेतु शौचालयों के लिए मनरेगा से वित्तपोषण खत्म कर दिया गया है और आईएचएचएल के लिए भारत सरकार के शेयर की संपूर्ण राशि अब स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से अदा की जाएगी।

viii. निर्मल भारत अभियान के अन्य सभी घटक, जैसे कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और सामुदायिक स्वच्छता परिसर, बने रहेंगे। एसएलडब्ल्यूएम वित्तपोषण 75:25 के लागत विभाजन पर रहेगा। सीएससी के लिए यह अनुपात 60:30:10 (केंद्र:राज्य:समुदाय) रहेगा। सीएससी का निर्माण केवल तब किया जाएगा जब ग्राम पंचायत स्वामित्व का उत्तरदायित्व लेगा और एक सतत प्रचालन और रखरखाव प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। सीएससी में शामिल होंगे बाजारों/बस स्टैंडो/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों/जनगणना गाँव आदि पर स्थित सार्वजनिक शौचालय, जहाँ कहीं स्वामित्व और प्रचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित की जाती है। सीएससी/सार्वजनिक शौचालयों को सार्वजनिक निजी भागीदारी/वीजीएफ मोड के तहत भी माना जाएगा।

ix. सभी स्कूली शौचालयों के निर्माण का दायित्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षण और साक्षरता विभाग को अंतरित किया जाता है।

x. स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्यनीति में शौचालय के निर्माण और उसके उपयोग के संबंध में व्यवहारगत परिवर्तन, आबादी को उत्प्रेरित करने पर ध्यान देने पर रहेगा। बढ़ती हुई माँग को सुनिश्चत करने के लिए व्यहारगत परिवर्तन के लिए और शौचालयों के उपयोग हेतु समुदायों को उत्प्रेरित करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जो सृजित आस्तियों के उपयोग को संभव बनाएगा। सुरक्षित स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई के लाभों के बारे में संदेश के लिए प्रौद्योगिकी और मीडिया का प्रभावशाली उपयोग किया जाएगा।

xi. निगरानी तंत्र को सृदढ़ किया जाएगा। आउटपुट (निर्माण और आउटकम) की निगरानी की जाएगी। 12वीं योजना के अंत में कार्यक्रम पर व्यापक आधार पर विचार किया जाएगा।

xii. राज्यों द्वारा मिशन के साथ परामर्श करके (वार्षिक कार्यान्वयन योजना) एक कार्यान्वयन कार्यनीति तैयार की जाएगी। जो राज्य अपनी योजनाओं अनुसार कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो राज्य अपनी तयशुदा तिथियों स पूर्व अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे है, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

xiii. स्वच्छ भारत मिशन द्वारा राज्यों को शौचालयों और एसएलडब्ल्यूएम परियोजना के लिए मान्यता प्राप्त प्रौद्यागिकी विकल्पों की एक सूची उपलब्ध कराई जाएगी। यह मिशन न्यूनतम स्वीकार्य प्रौद्योगिकी सूची उपलब्ध कराएगा। इस कार्यक्रम के तहत सहायता

उपलब्ध होगी। तथापि किसी भी प्रकार की उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति होगी जिसका अतिरिक्त खर्च लाभार्थी द्वारा उठाया जाएगा।
xiv. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का कार्यान्वयन 2 अक्टूबर, 2014 से शुरू होगा।

2. उपरोक्त की दृष्टि में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें पृथक रूप से जारी किया जाएगा।

सादर,

आपका,

(पंकज जैन)

सेवा में सभी मुख्य सचिव